

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1324

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: आत्महत्या करने वाले किसान

1324. श्री शफी परम्बिल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2010-24 के बीच की अवधि के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत 10 वर्षों के दौरान कर्ज में डूबे कृषि परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने कर्ज के जाल में फंसे किसानों की सहायता के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपने प्रकाशन 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुइसाइड्स इन इंडिया' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं पर सूचना संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (<https://ncrb.gov.in>) पर उपलब्ध है।

(ख): लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड सिचुएशन एसेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स पर जनवरी-दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित एनएसएस 77वें दौर के सर्वेक्षण में, सर्वेक्षण की तिथि तक बकाया ऋण की सूचना प्रत्येक सर्वेक्षित कृषि परिवारों से एकत्र की गई थी। इस सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत 50.2% है।

(ग) और (घ): कृषि राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार यथोचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने तथा किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने की दृष्टि से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि

वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन मात्र 21933.50 करोड़ रुपये था जो 5.5 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 122528.77 करोड़ रुपये हो गया है।

2. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

आठ वर्षीय (अनंतिम) - पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और क्लेमिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं को संबोधित करते हुए 2016 में लॉन्च किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में - 62.60 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 17.80 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों 1,60,838 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में 32,280 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसके विरुद्ध उन्हें 1,60,838 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए उन्हें लगभग 498 रुपये दावे के रूप में दिए गए थे।

डिजीक्लेम- दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता के लिए, पीएमएफबीवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से सीधे किसान के खाते में दावा भुगतान मॉड्यूल को खरीफ 2022 सीज़न के दावों से कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया गया है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीक्लेम के माध्यम से सीधे किसानों को किया जाता है।

सारथी - कृषि एवं ग्रामीण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी एवं बीमा के लिए सैंडबॉक्स: यह सरकार द्वारा परिकल्पित एक अभिनव कदम है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कृषक समुदाय को बहुआयामी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जोखिमों की स्थिति में वित्तीय ढील देना है। यह अग्रणी मंच पारंपरिक फसल बीमा से परे है, जिसका उद्देश्य मुख्य

रूप से किसानों और ग्रामीण भारत के लिए बीमा उत्पादों का एक व्यापक सूट प्रदान करना है।

केआरपीएच - कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन को पीएमएफबीवाई के तहत किसानों के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नों के समाधान और शिकायत निवारण की सुविधा के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत टोल फ्री नंबर 14447 लॉन्च किया गया है। शिकायत दर्ज करने पर, एक विशिष्ट टिकट नंबर बनाया जाता है, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की प्रगति को ट्रैक कर सकता है। शिकायत को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल किया जाना आवश्यक है। यह राज्य और केंद्र सरकार को शिकायतों की निगरानी करने में भी मदद करेगा।

4. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

- " कृषि के लिए संस्थागत ऋण 2014-15 के बाद से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- " किसानों को संस्थागत स्रोतों से अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए आसान और रियायती फसल-ऋण का वितरण 2014-15 के बाद से 6.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 14.79 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- " केसीसी के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी 2014-15 से 2.4 गुना बढ़कर 6000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 14252 करोड़ रुपये हो गया है।
- " कृषि ऋण लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के खातों की संख्या 2014-15 में 57% से बढ़कर 2023-24 में 76% हो गई ।

5. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी निर्धारित करना

- " सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारत औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफल के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।
- " धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
- " गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

6. (क) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरू की गई पहली व्यापक योजना है।

"वर्ष 2015-16 से (30.06.24 तक) कुल 2078.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

"पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत 38043 क्लस्टरों (प्रत्येक 20 हेक्टेयर) का गठन किया गया है, 8.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (एलएसी सहित) को शामिल किया गया है।

"उपर्युक्त के अलावा, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 8 राज्यों को 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए धनराशि जारी की गई और नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 272.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, 9551 क्लस्टरों का गठन किया गया तथा 1.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

"उपभोक्ताओं को सीधे जोड़कर किसानों से उपभोक्ताओं को सीधे जैविक उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से www.Jaivikkheti.in/ नामाक एक समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल सृजित किया गया है। जैविक-खेती पोर्टल पर कुल 6.23 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है।

"पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत जैविक उत्पादों के विपणन के लिए राज्य द्वारा विभिन्न ब्रांड विकसित किए गए हैं।

"सरकार ने वर्ष 2020-21 से बड़े पारंपरिक/डिफ़ाल्ट जैविक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, द्वीपों, जनजातीय या रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसका जीएमओ और कृषि रासायनिक उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है, को प्रमाणित करने के लिए बृहद क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम की शुरुआत की है।

"इस कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और नानकोरी द्वीपों के समूह के तहत 14,445 हेक्टेयर क्षेत्र को इन द्वीपों के पूरे क्षेत्र को सिक्किम के समान जैविक क्षेत्र में बदलने के लिए प्रमाणित किया गया है।

"एलएसी के तहत लद्दाख से 5000 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 11.475 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

"बृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण के तहत लक्षद्वीप की 2700 हेक्टेयर क्षेत्र की संपूर्ण कृषि-योग्य भूमि को जैविक प्रमाणित किया गया है।

"बृहद क्षेत्र प्रमाणन कोष के तहत सिक्किम राज्य सरकार को 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 96.39 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)

एमओवीसीडीएनईआर योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु विशिष्ट, केंद्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन समूहों का विकास करना है ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में इनपुट्स, बीजों, प्रमाणन से लेकर संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहल तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास में सहायता दी जा सके। इस योजना का मुख्य फोकस उपज के निर्यात पर है। इस योजना को वर्ष 2015-16 के दौरान तीन वर्षों के लिए 400 करोड़

रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इस योजना ने तीन-तीन वर्षों के दो चरणों को पूरा कर लिया है और अब तीसरे चरण में आगे बढ़ रही है।

उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

- " वर्ष 2015-16 के बाद से (30.06.2024तक) 1150.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- " 189039 किसानों और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 379 एफपीओ/एफपीसी बनाए गए।
- " एफपीओ/एफपीसी और निजी स्वामित्व के तहत 394 संग्रह, एकत्रीकरण, ग्रेडिंग इकाइयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, 123 प्रसंस्करण और पैक हाउस इकाइयां बनाई गईं।
- " एफपीओ/एफपीसी को 145 परिवहन वाहन प्रदान किए गए।
- " 7 राज्यों ने अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किए।
- " अदरक, हल्दी, अनानास और किंग चिल्ली की विपणन सुविधा को बड़ी सफलता मिली है और एफपीसी को बायबैक करारों के साथ सहायता दी गई ।
- " यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्वाजीलैंड को किंग चिल्ली साँस, अनानास (डिब्बाबंद) और जिंजर फ्लेक्स का निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है।
- " 3 एफपीसी सहित आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ उद्योग मेंटरशिप मॉडल।
- " 100% बायबैक आश्वासन के साथ अदरक और हल्दी के संविदा उत्पादन को अरुणाचल प्रदेश में 3 एफपीओ के साथ पर्वत फूड्स के साथ अंतिम रूप दिया गया।
- " पेरिला, ब्लैक थाई जिंजर और कैलेंडुला फूलों जैसी अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की संविदा खेती प्रक्रियाधीन है।

(ग) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

- i. प्राकृतिक खेती, पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रसायन-मुक्त खेती का तरीका है जिसमें कोई उर्वरक और कीटनाशक नहीं होता है। भारत सरकार सीमित क्षेत्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत उप-योजना "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति - (बीपीकेपी)" के माध्यम से वर्ष 2019-20 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।
- ii. बीपीकेपी के अंतर्गत 8 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- iii. प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मंचों पर प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में कृषि रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया था।

- iv. अतः, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और बजट घोषणा की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए, "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)" नामक एक समर्पित केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है।
- v. सचिवों की समिति (सीओएस) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने एनएमएनएफ शुरू करने की सिफारिश की है। एनएमएनएफ को क्रियान्वित करने के लिए एक कैबिनेट नोट की प्रक्रिया चल रही है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल

वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य देश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, पीडीएमसी को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत पीडीएमसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई पानी की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन, श्रम व्यय, अन्य आदान लागत के माध्यम से उर्वरक के उपयोग को कम करने और किसानों की समग्र आय बढ़ाने में मदद करती है।

योजना के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक इस योजना के माध्यम से देश में 78.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है जो प्री-पीडीएमसी आठ वर्षों की अवधि की तुलना में लगभग 81% अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2024 तक कुल 89.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान नीति आयोग द्वारा पीडीएमसी योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में काफी सुधार करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना आदि के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है; किसानों की आय में 10% से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है; जल उपयोग दक्षता में 30% से 70% तक सुधार किया जा चुका है तथा इसके द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

8. सूक्ष्म सिंचाई कोष

सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष से एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया गया है। वित्त पोषण धनराशि व्यवस्था के तहत, नाबार्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाई गई फंड की लागत की तुलना में 3% कम ब्याज दर पर ऋण देता है। एमआईएफ के तहत ऋण पर ब्याज छूट पीडीएमसी के तहत केंद्र द्वारा वहन की जाती है। एमआईएफ के तहत अब तक 4724.74 करोड़ रुपये की ऋण वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्यों को 3387.80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। मंत्रालय राज्यों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करता है जो पीडीएमसी योजना से पूरी की जाती है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार, धनराशि का कोष दोगुना कर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है।

9. एफपीओ का संवर्धन

10,000 नए एफपीओ के गठन तथा उनके संवर्धन के लिए बनाई गई नई केंद्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 29 फरवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉच की गई।

30 जून, 2024 तक, नए एफपीओ योजना के अंतर्गत **8,872** एफपीओ को पंजीकृत किया जा चुका है। **4,135** एफपीओ को **209.9** करोड़ रुपये की इक्विटी ग्रांट जारी किया जा चुका है। **1,542** एफपीओ को **349.28** करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया चुका है।

10. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21 से 2022-23 के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को आवंटित बजट 500.00 करोड़ रुपये में से उपलब्ध बजट 370.00 करोड़ रुपये के साथ वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और "स्वीट रिवोल्यूशन" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों की कठिनाई को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 7265.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सब्सिडी पर किसानों को 18,16,221 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर

कृषि मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 25,527 कस्टम हायरिंग सेंटर, 594 हाई-टेक हब और 23,538 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्यों को 69.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

12. नमो ड्रोन दीदी

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल सेक्टर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराना है। कुल 15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे जाएंगे। शेष 14500 ड्रोन इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे और ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को 8.0 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। एसएचजी के क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इंफ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत शेष राशि (खरीद की कुल लागत माइनस सब्सिडी ऋण के रूप में जुटा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना स्वयं सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी तथा वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

13. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना

पोषक-तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं-

- चरण-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
- चरण-II (2017 से 2019) - 12.19 करोड़
- आदर्श ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख
- वर्ष 2020-21 में- 14.57 लाख
- वर्ष 2021-22 में - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मृदा नमूनों के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई।
- वर्ष 2022-23 में - 36.73 लाख
- वर्ष 2023-24 में - 36.76 लाख
- वर्ष 2024-25 में - 1.99 लाख

जैव-उत्प्रेरकों के संवर्धन के लिए विनियम जारी किए जाते हैं। नैनो यूरिया, उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत शामिल है।

14. ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

विभाग ने ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1389 मंडियों को जोड़ा है।

दिनांक 30 जून 2024 तक, 1.77 करोड़ किसानों और 2.59 लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 9.94 करोड़ मीट्रिक टन और 36.39 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का कुल मिलाकर लगभग 3.59 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

15. राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयल पाम मिशन की शुरुआत

अगस्त, 2021 के दौरान नई केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, सीपीओ उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेल के संबंध में आयात का बोझ कम करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के अंतर्गत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत के लिए 3.22 हेक्टेयर क्षेत्र होगा।

16. कृषि अवसंरचना कोष

देश में एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना को देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कृषि अवसंरचना कोष के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है।

17. कृषि उपज लॉजीस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरुआत

किसान रेल को रेल मंत्रालय द्वारा शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को आसान करने के लिए शुरू किया गया है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 28 फरवरी 2023 तक 167 रूटों पर 2359 सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं।

18 . समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक (दिनांक 01.01.2024 तक) एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटक के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तार:- चिन्हित बागवानी फसलों के 13.79 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।
- पौधशालाएँ:- गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन हेतु 905 पौधशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- पुनरूद्धार:- पुराने और जीर्ण बागानों के 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के तहत 52259 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के तहत 3.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- जल संसाधन:- 54630 जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।
- मधुमक्खी पालन:- छत्तों सहित 16.30 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी यंत्रीकरण:- 2.73 लाख बागवानी यंत्रीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर : - 1.27 लाख फसलोपरांत प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की गई है।
- मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर - 15923 मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के तहत 9.73 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

19. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम का निर्माण

अब तक, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 1708 स्टार्ट-अप्स को विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा चुना गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किशतों में सहायता अनुदान के रूप में 122.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

20. कृषि एवं संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश ने कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी है। पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख वस्तुओं में चावल बासमती 21.92% (4787.65 से 5837.13 मिलियन अमरीकी डॉलर), भैंस का मांस 17.11% (3193.69 से 3740.16 मिलियन अमरीकी डॉलर), मसाले 12.17% (3785.36 से 4245.99 मिलियन अमरीकी डॉलर), कच्चा कपास अपशिष्ट सहित 55.13% (781.43 से 1115.49 मिलियन अमरीकी डॉलर), ताजे फल 32.46% (864.62 से 1145.24 मिलियन अमरीकी डॉलर), विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ 37.88% (1421.64 से 1652.22 मिलियन अमरीकी डॉलर) इत्यादि शामिल हैं।
